3356/06
17/1/07

संशोधित ज्ञापन

प्रारूप 1

(नियम तीन देखिये)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

(1) सोसायटी का नाम :– इस सोसायटी का नाम बुन्देली विकास संस्थान होगा।

(2) सोसायटी का प्रधान कार्यालय महल परिसर,छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, म.प्र.में होगा ।

(3) सोसायटी के निम्नलिखित उंद्देश्य होगे :–.

1 बुन्देली संस्कति,साहित्य, लोक कलाओ एवं ग्रामीण खेलकूदों के संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रयत्नशील रहकर भारतीय लोक संस्कृतियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये जन जागरण करना ।

2 बुन्देली लोक साहित्य एवं ऐतिहासिक दस्तावेजो को प्रकाशित करने के साथ बुन्देली कला संग्रहालय की स्थापना करके लोक अंच में फैली सांस्कृतिक,पुरातात्विक व ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण में शासन को सहयोग करना ।

3 बुन्देली लोक संस्कृति,साहित्य एवं इतिहास के कार्य में संबद्व लोगों को प्रोत्साहन करना ।

4 संस्था शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशील रहते हुये शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करेगी ।

5 संस्था पर्यावरण एवं जल संरक्षण व कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं विकास के लिये प्रयत्नशील रहेगी । इसके लिये विगड़े बनो वं कृषि योग्य भूमि सुधार, वृक्षारोपण आदि के लिये भी प्रयत्न करेगी ।

6 किसानों के विकास हेतु पशु मेले,कृषि मेले तथा उन्नत कृषि यंत्रो की प्रदर्शनी आदि का आयोजन संस्था करेगी ।

7 संस्था स्वयं की भूमि पर या शासन से भूमि प्राप्त करके भी संगंधित व औषधीय पौधों के लिये संस्था प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण देकर जन जागरण भी करेगी ।

8 ऐसे समस्त कार्य सम्पादित करना जो जनहित तथा क्षेत्रहित में हो ।

9 संस्था द्वारा यांत्रिकी शिक्षा, चिकित्सा (होम्योपैथी,ऐलोपैथी,आयुर्वेद) शिक्षा,कृषि शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक संस्थान की स्थापना करना तथा प्रचार प्रसार करना ।

10 राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना जैसे–एड्स,कुष्ठ रोग,पल्स पोलियो अभियान,मलेरिया रोग,परिवार कल्याण,टीकाकरण, नेत्र शिविरों आदि के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।

11 युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं महिलाओं/युवतियो के समग्र विकास से संबंधित कार्य करना तथा शासन की योजनाओं में सहयोग प्रदान करना ।

12 सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन में मदद करना, महिला उत्पीड़न, महिला शिक्षा,दहेज प्रथा,स्त्री पुरूष असमानता,नशाबंदी एवं बाल विवाह व बाल मजदूरी रोकना ।

13 निराश्रित वृद्धो, महिलाओं,बच्चों,विकलांग (शारीरिक एवं मानसिक) के समग्र विकास के कार्यक्रम, विकलांग शिविर लगाना,कृत्रिम अंग प्रदान करने का संचालन एवं शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं सहयोग प्रदान करना ।

सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर जिला-छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

14 जन समुदाय में राष्ट्रीय एकता , सामूदायिक विकास,आपसी सद्भावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार में सहयोगी बनना एवं सभी तरह की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना करना ।

15 जन समुदाय के सहयोग से ग्रामीण विकास करना एवं शासन की ग्रामीण विकास की योजनाओं में सहयोग प्रदान करना ।

16 मातृ एवं शिशु मृत्युदर रोकने सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित करना ।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति नियमानुसार शासन व विभाग की अनुमति लेकर की जायेगी।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद संचालकों सोसायटीयां शासी निकाय को सौंपा गया हैं जिसके नाम तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

क्र	नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
१	श्री शंकर प्रताप सिंह बुन्देला	संरक्षक	महल परिसर,छतरपुर	कृषि
[illegible]	श्री शोभालाल गुप्ता	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट—बसारी,छतरपुर	व्यापार
[illegible]	श्री हीरालाल बुन्देला	उपाध्यक्ष	महल परिसर,छतरपुर	सेवानिवृत
[illegible]	श्री जीतेन्द्र सिह	सचिव	चौबे कॉलोनी,छतरपुर	कृषि
[illegible]	श्रीराम सेवक अग्रवाल	संयुक्त सचिव	कमरयाई मोहल्ला,छतरपुर	व्यापार
६	श्री लखनलाल दुबे	कोषाध्यक्ष	महल परिसर,छतरपुर	कृषि
७	श्रीमति विजय श्री बुन्देला	सदस्य	महल परिसर,छतरपुर	कृषि
८	श्री अच्छेलाल यादव	सदस्य	ग्राम व पोस्ट—बसारी, छतरपुर	कृषि

5. म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 6 की उपधारा(3) द्वारा तथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई हैं । इम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये हैं उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं

क	अभिदाताओं के नाम पूर्ण पता पिता/पति के नाम सहित	हस्ताक्षर
१	श्री दिवान त्रिलोक सिंह बुन्देला आत्मज श्री गणेश सिंह बुन्देला ग्राम व पोस्ट —बसारी,छतरपुर (म.प्र.)	sd
२	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बुन्देला आत्मज श्री राव बहादुर सिंह बुन्देला ग्राम व पोस्ट —बसारी,छतरपुर (म.प्र.)	sd

सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
जिला छतरपुर (म.प्र.)

३	श्री लखन लाल असाटी आत्मज श्री हरि दास असाटी असाटी मुहल्ला,छतरपुर (म.प्र.)	sd
४	श्री पर्वत सिंह बुन्देला आत्मज श्री रघुराज सिंह बुन्देला ग्राम व पोस्ट –बसारी,छतरपुर (म.प्र.)	sd
५	श्री राम सेवक अग्रवाल आत्मज श्री द्वारका अग्रवाल तमराई मुहल्ला,छतरपुर (म.प्र.)	sd
६	श्रीमति विजयश्री बुन्देला पत्नी श्री शंकर प्रताप सिंह बुन्देला ग्राम व पोस्ट –बसारी,छतरपुर (म.प्र.)	sd
७	श्री अच्छे लाला यादव आत्मज श्री हल्के यादव ग्राम व पोस्ट –बसारी,छतरपुर (म.प्र.)	sd
८	श्री शोभालाल गुप्ता आत्मज श्री चतुर्भुज भुर्जी ग्राम व पोस्ट –बसारी,छतरपुर (म.प्र.)	sd
९	डॉ मुन्नालाल पिपरसानियाँ आत्मज श्री लक्ष्मी प्रसाद पिपरसानियां पिपरसानियाँ मुहल्ला,छतरपुर (म.प्र.)	sd
१०	डॉ बहादुर सिंह परमार आत्मज श्री [illegible] सिंह परमार ४/४ प्रोफेसर कॉलोनी,छतरपुर	sd
११	श्री लखनलाल दुबे आत्मज श्री हल्के दुबे महल परिसर,छतरपुर (म.प्र.)	sd
१२	श्री हीरासिंह बुन्देला आत्मज श्री प्रताप सिंह बुन्देला महल परिसर,छतरपुर (म.प्र.)	sd
१३	डॉ दुर्गा त्रिपाठी आत्मज श्री शिवभूषण सिंह महल परिसर,छतरपुर (म.प्र.)	sd
१४	श्री जीतेन्द्र सिंह आत्मज श्री शिवभूषण सिंह चौबे कॉलोनी,छतरपुर(म.प्र.)	sd
१५	श्री सूर्य प्रताप सिंह आत्मज श्री वीर सिंह बुन्देला आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे,सौरा रोड़ छतरपुर (म.प्र.)	sd

सत्यापित

साक्षी

हस्ताक्षर . sd .....

नाम मन्नूलाल बेल्दार

पता वार्ड नं. 28 छतरपुर

(मंगला पुरकाम)
असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ
सागर संभाग सागर

सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

संशोधित नियमावली

(1) सोसायटी का नाम :– इस सोसायटी का नाम बुन्देली विकास संस्थान होगा।

(2) सोसायटी का प्रधान कार्यालय महल परिसर,छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, म.प्र.में होगा ।

(3). संस्था का कार्यक्षेत्र "मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,एवं अन्य राज्य" होगा ।

(4) संस्था के उंद्देश्य –

1 बुन्देली संस्कति,साहित्य, लोक कलाओ एवं ग्रामीण खेलकूदों के संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रयत्नशील रहकर भारतीय लोक संस्कृतियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये जन जागरण करना ।

2 बुन्देली लोक साहित्य एवं ऐतिहासिक दस्तावेजो को प्रकाशित करने के साथ बुन्देली कला संग्रहालय की स्थापना करके लोक अंच में फैली सांस्कृतिक,पुरातात्विक व ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण में शासन को सहयोग करना ।

3 बुन्देली लोक संस्कृति,साहित्य एवं इतिहास के कार्य में संबद्व लोगों को प्रोत्साहन करना ।

4 संस्था शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशील रहते हुये शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करेगी ।

5 संस्था पर्यावरण एवं जल संरक्षण व कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं विकास के लिये प्रयत्नशील रहेगी । इसके लिये विगड़े बनो वं कृषि योग्य भूमि सुधार, वृक्षारोपण आदि के लिये भी प्रयत्न करेगी ।

6 किसानों के विकास हेतु पशु मेले,कृषि मेले तथा उन्नत कृषि यंत्रो की प्रदर्शनी आदि का आयोजन संस्था करेगी ।

7 संस्था स्वयं की भूमि पर या शासन से भूमि प्राप्त करके भी संगंधित व औषधीय पौधों के लिये संस्था प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण देकर जन जागरण भी करेगी ।

8 ऐसे समस्त कार्य सम्पादित करना जो जनहित तथा क्षेत्रहित में हो ।

9 संस्था द्वारा यांत्रिकी शिक्षा, चिकित्सा (होम्योपैथी,ऐलोपैथी,आयुर्वेद) शिक्षा,कृषि शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक संस्थान की स्थापना करना तथा प्रचार प्रसार करना ।

10 राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना जैसे–एड्स,कुष्ठ रोग,पल्स पोलियो अभियान,मलेरिया रोग,परिवार कल्याण,टीकाकरण, नेत्र शिविरों आदि के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।

11 युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं महिलाओं/युवतियो के समग्र विकास से संबंधित कार्य करना तथा शासन की योजनाओं में सहयोग प्रदान करना ।

सचिव
सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

12 सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन में मदद करना, महिला उत्पीड़न, महिला शिक्षा,दहेज प्रथा,स्त्री पुरूष असमानता,नशाबंदी एवं बाल विवाह व बाल मजदूरी रोकना ।

13 निराश्रित वृद्धो, महिलाओं,बच्चों,विकलांग (शारीरिक एवं मानसिक) के समग्र विकास के कार्यक्रम, विकलांग शिविर लगाना,कृत्रिम अंग प्रदान करने का संचालन एवं शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं सहयोग प्रदान करना ।

14 जन समुदाय में राष्ट्रीय एकता , सामूदायिक विकास,आपसी सद्भावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार में सहयोगी बनना एवं सभी तरह की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना करना ।

15 जन समुदाय के सहयोग से ग्रामीण विकास करना एवं शासन की ग्रामीण विकास की योजनाओं में सहयोग प्रदान करना ।

16 मातृ एवं शिशु मृत्युदर रोकने सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित करना ।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति नियमानुसार शासन व विभाग की अनुमति लेकर की जायेगी।

(5) सदस्यता :.संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगेः ।

(i) संरक्षण सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रू.1100/- या अधिक एक मुश्त या एक साल मे वारह किश्तो मे देगा वह सोसायटी का संरक्षण सदस्य होगा ।

(ii) आजीवन सदस्यः जो व्यक्ति संस्था के शुल्क के रूप में रू 500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 600/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता हैं ।

(iii) . साघारण सदस्यः. जो व्यक्ति रू 10/- माह रू 120/- प्रति वर्ष संस्था को शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्या केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने शुल्क दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोष जनक कारणों के छः माह तक देय शुल्क नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा वकाया शुल्क की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता हैं ।

(iv) सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मनीय सदस्य बना सकती हैं । ऐंसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा

सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

(6) सदस्ता की प्राप्ति : प्रत्येक व्यक्ति जो कि सोसायटी का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन 5पत्र प्रबंधकारिणी सोसायटी को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमांन्य करने का अधिकार होगा ।

(7). सदस्यों की योग्यता : सस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं । 1 .आयु 18 वर्ष सें कम न हो । 2 . भारतीय नागरिक हो। 3. सीमिति के नियमो के पालन करने की प्रतिज्ञा की हों। 4. सद्चरित्र हो तथा मंद्यपान न करता हो ।

(8) सदस्यता की समाप्तिः संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी 1. मृत्युं हो जाने पर 2. पागल हो जाने पर । 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम बताये अनुंसार जमा न करने पर । 4. त्यागपत्र देने पर वह स्वीकार होने पर । 5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारणी सोसायटी के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

(9) सोसायटी कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय तथा हस्ताक्षर तारीख सहित ।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं ।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10). अ. साधारण सभा :साधारण सभा में नियम 5 मे दर्शायी श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें । साधारण सदस्यों की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी सोसायटी निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। सोसायटी की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें सोसायटी के पदाधिकारियो का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को

सचिव
सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियो का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

ब. प्रबंधकारिणी सभा : प्रबंधकरिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता हैं तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

स. विशेष : यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यो की संख्या का) के 2/3 सदस्यो द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की एक प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सोसायटी को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य : (क) सोसायटी के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) सोसायटी की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना । (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना । (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो । (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रको को स्वीकृत करना । (छ) बजट अनुमोदन करना ।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन : ट्रस्टीज यदि कोई हो सोसायटी के पदेन सदस्य रहेगे नियम 5 (अ ब स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो । बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी सोसायटी के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1.अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव 4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2.

(13) प्रबंध सोसायटी का कार्यकाल : प्रबंध सोसायटी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा सोसायटी का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी

सचिव
सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

सोसायटी का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगा जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य : (अ) जिन उंद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सोसायटी का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) सोसायटी एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना सोसायटी की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
(द) कर्मचारियों शिक्षको आदि की नियुक्ति करना ।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौपे जाएं ।
(च) सोसायटी की समस्त चल.अचल संपत्ति कार्यकारिणी सोसायटी के नाम से रहेगी ।
(छ) सोसायटी द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जाएगी ।
(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर सोसायटी के विधान में संशोधित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी साधारण सभा में कुल सदस्यो 2/3 मत से संशोधित पारित होने तक उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(15) अध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी सोसायटी की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयो में निर्णयात्मक होगा ।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एव प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का उपयोग करेगा ।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :– (1) साधारणसभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
(2) सोसायटी का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समुख्य प्रस्तुत करना ।

सचिव
सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर जिला-छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

(3) सोसायटी के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रू 250/_ करने का अधिकार होगा ।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :– सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकार होगें ।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार : सोसायटी की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

(20) बैक खाता :संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैक या पोस्ट– आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू ...../..... रहेगे ।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :

(अ) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सोसायटी की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा कार्यकारिणी सोसायटी की सूची फाईल की जावेगी ।

(ब) अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत वार्षिक आम सभा होने की तारीख से 90 दिन के भीतर सोसायटी एवं संचालित संस्थाओं की संपरीक्षित आय–व्यय पत्रक आडिट रिपोर्ट तथा बेलेस–सीट निर्धारित फीस के साथ भेजी जावेगे।

(22) संशोधन : सोसायटी के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यो के 2/3 मतो से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो सोसायटी के हित में उसके पंजीक्रत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा संशोधन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निधारित फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ।

(23) विघटन : सोसायटी का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जायेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति राज्य

सचिव
सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

सरकार में निहित होगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(24) सम्पत्ति : संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरिम नहीं की जा सकेगी अनुज्ञा हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित फीस के साथ किया जावेगा ।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना : सोसायटी की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारयिो द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

(26) विवाद : संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद बडे निर्णय के लिए भेज सकेगे रजिस्टार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध सोसायटी के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

(27) सोसायटी के उद्देश्यों का क्रियान्वयन शासन के संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति व मान्यता आदि प्राप्त कर ही किया जावेगा, व इसके पश्चात ही सोसायटी में सदस्य बनने हेतु/विद्यार्थियो के प्रवेश हेतु सोसायटी के नाम एवं पंजीकृत उद्देश्यो आदि का प्रचार प्रसार किया जावेगा ।

सत्यापित

(मंगला पुरकाम)
असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ
सागर संभाग सागर

सचिव
सचिव
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
बुन्देली विकास संस्थान
छतरपुर (म.प्र.)